



2026:AHC:124524

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19051/2026

बलिराम @ निरहु

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: राजेश कुमार चौधरी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: जी.ए

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इस जमानत याचिका में याचिकाकर्ता को मामला अपराध संख्या 27/2026, धारा 108 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन- खेसराहा, जिला सिद्धार्थ नगर में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक, जिसका आवेदक से प्रेम संबंध था, ने आवेदक द्वारा विवाह से इनकार किए जाने पर आत्महत्या कर ली। आवेदक के वकील ने आगे कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनते, क्योंकि आवेदक की कथित घटना में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी और विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इसलिए, आवेदक को झूठा फंसाया गया है। अंत में यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह 12.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक बलिराम उर्फ निरहु को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
9. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को **सिद्धार्थ नगर जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा और ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो कि जमानत देने में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही **पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026** को लिया गया था।
8. यदि कोई आवेदन था, तो वह अब निपटा दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

2 जून, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।